बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ०प्र०–4–05/2017 677 /पटना, दिनांक :– 28.2.2020

श्री ओम प्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2943 दिनांक 27.12.2016 द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–145/2016 दिनांक 19.12.2016 धारा 13(2)–सह–पठित 13(1)(ई) भ्र०नि०अधि०–1988 दर्ज किये जाने की सूचना विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् श्री ओम प्रकाश मांझी को अधिसूचना संख्या–66–सह–पठित ज्ञापांक 67 दिनांक 13.01.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री मांझी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर उनके विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 685 अनु0 दिनांक 06.04.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 459 दिनांक 14.09.2017 के माध्यम से श्री मांझी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री मांझी के विरूद्ध गठित तीनो आरोपो को प्रमाणित माने जाने का मंतव्य दिया गया।

3. उक्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 3102 अनु0 दिनांक 18.10. 2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री मांझी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. श्री मांझी के पत्रांक शून्य दिनांक 19.03.2019 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 03.07.2019 द्वारा प्रमाणित आरोपों पर द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं कर अन्य कागजातों की मांग की गयी, जिसे पूर्व में हीं विभाग द्वारा श्री मांझी को उपलब्ध करा दिया गया था। फिर भी श्री मांझी द्वारा याचित कागजात विभागीय पत्र दिनांक 09.07.2019 द्वारा पुनः उपलब्ध कराते हुए उन्हें द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया। इसके बावजूद भी श्री मांझी द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित नहीं किया गया। श्री मांझी से द्वितीय बचाव बयान अप्राप्त रहने के कारण विभाग स्तर पर इनके विरूद्व गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री मांझी के विरूद्व गठित आरोप गंभीर प्रकृति के है, जो विभागीय कार्यवाही में भी प्रमाणित पाये गये है। इस प्रकार यह माना गया कि प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मांझी को अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री ओम प्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान के विरूद्व प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(xi) के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन

प्राप्त किया गया। इसके पश्चात् श्री मांझी का द्वितीय बचाव बयान विभाग को प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में श्री मांझी के द्वितीय बचाव बयान का कोई औचित्य नहीं रह जाने के कारण उसपर विचार नहीं किया गया।

6. श्री मांझी के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 3357 अनु0 दिनांक 15.11.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 3007 दिनांक 14.02.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. विभागीय संलेख ज्ञापांक–577 अनु० दिनांक 20.02.2020 द्वारा श्री मांझी के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु संलेख मंत्रिपरिषद् को प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में उक्त प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.02.2020 में मद संख्या–08 के रूप में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. **अतः उक्त के आलोक में श्री ओम प्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/2/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–4–05/2017 678 /पटना, दिनांक :– 28.2.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी० डी० के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उप सचिव 28/2/2020

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–4–05/2017 678 /पटना, दिनांक :– 28.2.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन/निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव 28/2/2020

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–4–05/2017 678 /पटना, दिनांक :– 28·2·2020

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.02.2020 में मद संख्या–8 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3007 दिनांक 14.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
28/2/2020

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–4–05/2017 678 /पटना, दिनांक :– 28·2·2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीवान/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, सीवान/ प्रशाखा पदाधिकारी–6 एवं 12, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री ओम प्रकाश मांझी, तदेन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
28/2/2020